न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –76/2016

दायर दिनांक – 11.07.2016

निर्णय दिनांक – 23.02.2022

जीसीएमएस नं0 –2011/00021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री पुसा पुत्र रिडमा 2. सुखदेव पुत्र बुद्वा 3. भैरू पुत्र बुद्वा 4. किशना पुत्र बुद्वा (मृतक) जरिये वारिसान– 4/1 मेवा पुत्र किशना 4/2 नारायण पुत्र किशना 4/3 बलदेव पुत्र किशना समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील व जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212, राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर में अवस्थित कृषि भूमि के चौसाला खसरा सं. 420/[illegible] रकबा 01–03–10 बीघा, वर्किंग खसरा सं. 608 रकबा 01–04–00 बीघा एवं [illegible] खसरा सं. [illegible] रकबा 0.19 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थी को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व [illegible] उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने, प्रार्थीगण के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही करने एवं रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:06:55 IST
Reason: SelfAttested

23.2.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

...न करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबंद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया ...या।

प्रार्थीगण अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण ने उल्लेख किया है कि ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर में अवस्थित कृषि भूमि के चौसाला खसरा सं. 420/2 प्रार्थी सं. 1 के पिता रिड़मा पुत्र भींया एवं प्रार्थी सं. 2 लगायत 4 के पिता बुद्धा पुत्र भींया की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है, जिसके वर्किंग खसरा सं. 608 हाल खसरा सं. 804 मुर्तिब किये गए जो वर्तमान में गैर कानूनी रूप से प्रविष्टि को परिवर्तित करते हुए भू–राजस्व कर्मचारियों द्वारा सिवायचक दर्ज कर दी गई। जबकि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का ही अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु भू–संशोधन के दौरान वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 804 का इन्द्राज प्रार्थीगण के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज नही करने के कारण अप्रार्थी एवं उनके कर्मचारीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदखलत उत्पन्न करने, धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करने, प्रार्थीगण को बेदखल करने, अन्य व्यक्तियों को आवंटन करने पर सख्त आमादा है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2831 दिनांक 31.12.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " राजस्व ग्राम किशनपुरा गोयला के चौसाला जमाबन्दी खसरा सं. 420/1 रकबा 01–03–10 बीघा किस्म चा. 1 खाता सं. 205 में माना वल्द लादू कौम गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज है तथा खसरा सं. 420/2 रकबा 01–03–10 किस्म चा.1 खाता सं. 241 पर रिड़मा व बुद्धा पिता भीया कौम गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज है। राजस्व ग्राम किशनपुरा गोयला के चौसाला खसरा सं. 420/2, 420/1 के वर्किंग खसरा सं. क्रमशः 608 व 609 बने है। राजस्व ग्राम किशनपुरा गोयला के वर्किंग खसरा नं. 608 का वर्किंग जमाबन्दी में किसी भी प्रकार का अंकन होना नहीं पाया गया। राजस्व ग्राम किशनपुरा गोयला के वर्किंग खसरा नं. 608 का हाल खसरा नं. 804 रकबा 0.19 हैक्ट बने है जो कि वर्तमान में खाता सं. 01 में सिवायचक में दर्ज है "

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। दौरान बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि खसरा गिरदावरी संवत् 2043 से 2072 तक में प्रार्थीगण द्वारा काश्त किया जाना अंकित है। ख.न. 420/2 कदीम से प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आ रहा है लेकिन भू–संशोधन के दौरान इसे सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाये। पैरोकार सरकार तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:06:55 IST
Reason: SelfAttested

23.2.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

पुष्कर ने अपनी बहस में बताया कि वर्किंग ख.न. 608 का हाल खसरा नं. 804 वर्तमान के खाता सं. 01 में सिवायचक दर्ज है। अतः प्रार्थीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर में अवस्थित कृषि भूमि के चौसाला खसरा सं. 420/2 रकबा 01–03–10 बीधा, वर्किंग खसरा सं. 608 रकबा 01–04–00 बीघा एवं आधार खसरा सं. 804 रकबा 0.19 हैक्टयर भूमि वर्तमान में सिवायचक दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुरणीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में पाये जाने के कारण एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

23.2.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:06:55 IST
Reason: SelfAttested